कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद..............................

पत्रांकः ....

1—जनपद—...............................

2—मदिरा की दुकान का नाम—..............................

3—दुकान का प्रकार—..........................

4—देशी मदिरा की दुकान हेतुः—

न्यूनतम वार्षिक एम0जी0क्यू0 (36 प्रतिशत वी/वी ब0ली0 में)—...............

5—मॉडल शॉप/विदेशी मदिरा/बियर की दुकान हेतुः—

न्यूनतम वार्षिक लाइसेंस फीस (रू0 में)—........................

6—न्यूनतम धरोहर धनराशि (रू0 में)—प्रस्तर 13 के अनुसार

7— प्रोसेसिंग शुल्कः

(क) मॉडल शॉप हेतु— रू0 20,000 + 18% जी0एस0टी0

(ख) देशी/विदेशी मदिरा/बियर की दुकान हेतु—रू0 15,000 + 18% जी0एस0टी0

ऑनलाइन टेण्डर डॉक्यूमेण्ट (Two Bid System)

वित्तीय वर्ष 2018—19 की अवशेष अवधि के लिए देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर व माडल शाप्स के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन के व्यवस्थापन हेतु निविदाः— भाग (1)—तकनीकी निविदा हेतु नियम एवं शर्तेः—

1. मदिरा की फुटकर दुकान का व्यवस्थापन शासनादेश संख्या—7/2018/2018 ई—2/तेरह—2018—46/2017 दिनांक 25.01.2018 एवं शासनादेश संख्या—2148 ई—2/तेरह—2018—46/2017 दिनांक 06.06.2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिये घोषित आबकारी नीति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
2. आवेदक आबकारी अधिनियम 1910 तथा दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध मे प्रख्यापित नियमावली व आबकारी नीति 2018—19 के निर्देशों को मानने को बाध्य होगा।
3. मदिरा की फुटकर दुकान का व्यवस्थापन www.etender.up.nic.in पर ऑनलाइन ई—टेण्डर/ऑफर के माध्यम से किया जायेगा।
4. व्यवस्थापन सम्बन्धित विस्तृत विवरण आबकारी विभाग की वैबसाईट www.upexcise.in पर भी उपलब्ध रहेगा।
5. सम्पूर्ण निविदा सूचना आलेख के साथ संलग्न प्रारूप—01 पर आवेदन—पत्र एवं संलग्न प्रारूप 02 पर शपथ—पत्र दिया जा रहा है। वित्तीय निविदा भाग (2) में केवल ऑनलाइन भरनी होगी। मात्र निर्धारित आवेदन—पत्र व शपथ—पत्र पर देय सूचना ही मान्य होगी। निर्धारित प्रारूप से भिन्न टंकित या तैयार किये गये आवेदन पत्र व शपथ पत्र के प्रारूप मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र व शपथ पत्र www.etender.up.nic.in से ही डॉउनलोड कर भरी जायेंगी।

6. मदिरा की फुटकर दुकान के ऑनलाइन व्यवस्थापन हेतु समय सारणी निम्नवत् निर्धारित की जाती है:–

1.	Tender publishing date	08-06-2018 at 15:30
2.	Document download start date	08-06-2018 at 15:30
3	Document download end date	18-06-2018 at 09:30
4.	Pre bid meeting date	09-06-2018 at 16:00
5.	Bid submission start date	08-06-2018 at 15:30
6.	Bid submission closing date	18-06-2018 at 09:30
7	Technical bid opening date	18-06-2018 at 11:00
8.	Financial bid opening date	19-06-2018 at 14:00
9.	The place of bid opening	As decided by the Collector
10.	Tender inviting officer	Collector

7. आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रकिया वेबसाईट www.etender.up.nic.in पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त मदिरा/बीयर की दुकानों हेतु उक्त वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाइन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital Signature Certificate (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार कराना होगा तथा www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण करना होगा, जिसके माध्यम से वह मदिरा की दुकानों हेतु आवेदन कर सकेगा। आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं है।

8. मदिरा की फुटकर दुकान हेतु निजी आवेदकों से सम्बन्धित दुकान के न्यूनतम निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस के सापेक्ष अधिकतम वार्षिक एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस पर ऑनलाइन ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं। मदिरा की दुकानों का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जाना है:–

देशी मदिरा हेतु

क्र0 सं0	दुकान का नाम	दुकान की प्रास्थिति	दुकान हेतु निर्धारित न्यूनतम् वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस (रू0 में)			न्यूनतम् धरोहर धनराशि (रू0 में)
			निर्धारित न्यूनतम् वार्षिक एम0जी0क्यू0 (ब0ली0 में) 36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में	न्यूनतम् वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस (रू0 में)	न्यूनतम् वार्षिक लाइसेंस फीस (रू0 में)	
1	2	3	4	5	6	7

माडलशाप/विदेशी मदिरा/बियर हेतु

क्र0 सं0	दुकान का नाम	दुकान की प्रास्थिति	दुकान हेतु निर्धारित न्यूनतम् वार्षिक लाइसेंस फीस (रू0 में)	न्यूनतम् धरोहर धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5

9. मदिरा की दुकान हेतु आवंटन के लिए भारतवर्ष के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे।

10. आवेदक आबकारी राजस्व का बकायेदार या आबकारी अनुज्ञापनों हेतु विवर्जित (Black Listed) नहीं होना चाहिये।

11. आवेदक, ऑनलाइन ऑफर प्रकाशन की तिथि तक 21 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए।

12. आवेदक के पक्ष में सम्बन्धित जनपद में यदि कोई दुकान पूर्व में आवंटित हुई हो, तो उसका विवरण आवेदक द्वारा देना अनिवार्य होगा।

13. आवेदक को ऑन लाईन ऑफर के साथ निम्न प्रपत्र की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति अनिवार्य रूप से ऑनलाइन टेक्निकल बिड सेक्शन में अपलोड करनी होगीः–

(i) आवेदन पत्र

(ii) सम्बन्धित शपथ पत्र (रू0 10/– के नॉन ज्यूडिसियरी स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

(iii) पैन कार्ड।

(iv) आधार कार्ड।

(v) हैसियत प्रमाण–पत्र।

(vi) प्रोसेंसिंग शुल्क एवं जी0एस0टी0 की धनराशि के एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 से भुगतान की बैंक रसीद की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।

(vii) वांछित धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति अनिवार्य रूप से ऑनलाइन **फाइनेंसियल बिड सेक्शन में** अपलोड करनी होगी।

यदि आवेदन सह–आवेदक के साथ किया गया है, तो सह–आवेदक को भी कमांक–(ii) से कमांक–(v) तक के अभिलेख अपलोड करने होंगे।

देशी मदिरा की दुकान हेतु सम्बन्धित दुकान के कुल न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित बेसिक लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत तथा विदेशी मदिरा, बीयर व माडल शाप की लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत के बराबर की **धरोहर धनराशि** बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो कि **संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी**, के नाम बना हो, ही स्वीकार्य किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन के लिए पृथक धरोहर धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी।

आवेदकों को यह सुविधा दी जायेगी कि यदि पंचम चरण के निरस्त राउण्ड के सापेक्ष उनके द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क, जी0एस0टी0 व धरोहर–धनराशि जमा की गई थी तो उस जमा धनराशि के आधार पर वह पुनः फ्रेश आवेदन कर सकेंगे।

14. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर दुकान हेतु रू0 15,000/– एवं माडल शाप्स की दुकान हेतु रू0 20,000/– प्रोसेसिंग शुल्क आवेदन प्रकिया के रूप में देय होगा। इस पर 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0/वैट भी नियमानुसार देय होगा। प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पर प्रोसेसिंग शुल्क एवं जी0एस0टी0 अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

15. प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पर **प्रोसेसिंग शुल्क एवं जी0एस0टी0** अनिवार्य रूप से एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से **जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ (JILA ABKARI ADHIKARI, LUCKNOW)** के पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खंड लखनऊ स्थित खाता संख्या 4483002100004497 में जमा करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खंड, लखनऊ शाखा का आई0एफ0एस0सी0 कोड PUNB0448300 है।

16. किसी आवेदक के पक्ष मे (स्वयं अथवा सह आवेदक के साथ) एक जनपद में सभी प्रकार (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व माडल शाप) की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी।

17. आवेदक के पास समय–समय पर उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (यथासंशोधित) के प्राविधानों एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर/किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था होनी चाहिये। प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया होना चाहिये।

18. ऑनलाइन आफर में प्राप्त आवेदन पत्रों का Technical Evaluation जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा निम्न प्रारूप में किया जायेगा:–

क० सं०	आवेदक का विवरण	आवेदक की उम्र 21 वर्ष अथवा उससे अधिक है या नही	दुकान का नाम	दुकान का प्रकार (देशी / विदेशी / बीयर / माडल शाप)	आवेदन पत्र है या नही	शपथ पत्र है या नहीं	पैन कार्ड है या नहीं	आधार कार्ड है या नही	आवश्यक हैसियत प्रमाण–पत्र है या नही	भारतीय नागरिक है अथवा नहीं।	निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क एवं जी0एस0टी0 है या नहीं	निर्धारित धरोहर धनराशि है या नहीं	जनपद में आवेदक के पक्ष में पूर्व से व्यवस्थापित दुकानों की सख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

19. Technical Evaluation में सही पाये गये आवेदकों की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। **प्रत्येक दुकान हेतु पृथक से आवेदन, मूल धरोहर धनराशि का ड्रॉफ्ट तथा पृथक से ऑनलाइन ऑफर प्रस्तुत किया जायेगा।**
20. Technical Evaluation के खोलने के समय आवेदक या आवेदक का प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। Technical Evaluation में सफल आवदेकों की सूची ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।
21. आवेदक द्वारा गलत तथ्य तथा Corrupt & Fraud Practice करने पर उसका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
22. मदिरा की दुकान हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0 / लाइसेंस फीस के सापेक्ष अधिकतम ऑफर दाता को मदिरा दुकान आवंटित की जायेगी। यदि किसी आवेदक को दुकान पूर्व में आवंटित हो गयी हो अथवा वह निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण न करता हो तो उसके स्थान पर सम्बन्धित आवेदक के बाद के उच्चतम ऑफरदाता (अवरोही क्रम से) के पक्ष में दुकान का व्यवस्थापन कराया जायेगा।
23. आवेदक ऑनलाइन Bid Submission की अन्तिम तिथि व समय से पूर्व अपनी बिड को संशोधित कर सकता है या वापस ले सकता है।
24. ऑनलाइन ऑफर www.etender.up.nic.in पर ही जमा (Submit) कर सकता है, इसके अतिरिक्त ऑफर किसी अन्य माध्यम से स्वीकार्य नहीं होगें।
25. कोई भी ऑन लाईन आफर वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर ही मान्य होगा। आवेदक को ऑन लाईन ऑफर भरने पर बिड एक्नॉलेजमेन्ट प्राप्त होगा। उक्त बिड एक्नॉलेजमेन्ट ही ऑनलाइन आवेदन किये जाने का प्रमाण होगा। उक्त प्रमाण को प्रस्तुत करने पर वह निविदा खुलते समय प्रवेश पा सकेगा।
26. जनपद की जिन दुकानों (देशी / विदेशी / बीयर / माडल शाप) हेतु निर्धारित धनराशि पर मात्र एक ही ऑफर प्राप्त हुआ हो, उसका आवंटन एकल आवेदक के पक्ष में सर्वप्रथम किया जायेगा। दुकान का व्यवस्थापन पहले देशी मदिरा से आरम्भ होगा। सबसे पहले अधिकतम निर्धारित धरोहर धनराशि वाली दुकान के लिये ऑफर खोला जायेगा और उसके बाद धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम (Descending Order) में यह प्रकिया जारी रखी जायेगी। देशी मदिरा की दुकान के लिये व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद माडल शाप के लिये ऑनलाइन ऑफर खोलने की कार्यवाही उपरोक्त की भांति की जायेगी और इसमें भी अधिकतम धरोहर धनराशि वाली दुकान से आरम्भ कर अवरोही क्रम में अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन किया जायेगा। उपरोक्त के पश्चात् विदेशी मदिरा और अन्त में बीयर की दुकानों का व्यवस्थापन किया जायेगा। तत्पश्चात एक से अधिक वैध आवेदन प्राप्त दुकानों का व्यवस्थापन उपरोक्त क्रमानुसार किया जायेगा।
27. यदि दो या अधिक व्यक्तियों का ऑफर एक समान है, तो उनके मध्य सार्वजनिक मैनुअल लॉटरी द्वारा दुकान का आवंटन कराया जायेगा। जिला स्तरीय चयन समिति के सम्मुख लाटरी निकाले जाने के लिये जिला आबकारी अधिकारी द्वारा **6 से0मी0 × 6 से0मी0** के एक ही तरह के कागज की पर्चियाँ कम्प्यूटर से छपवाकर तैयार की जायेगी, जिनका प्रारूप निम्नानुसार होगा:–

मदिरा दुकान का नाम....................................

मदिरा दुकान का प्रकार....................................

आवेदन पत्र की पंजीयन संख्या.......................

आवेदक का नाम...

जिला आबकारी अधिकारी, नामित अधिकारी, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी/कलेक्टर पर्ची पर आवंटन समिति के समस्त सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। जिलाधिकारी/कलेक्टर किसी एक दुकान के लिये सभी आवेदकों की पर्चियों के लिखे भाग को अन्दर की ओर रखते हुए समान रूप से अलग-अलग मोड़ कर किसी पारदर्शी पात्र में भली-भाँति मिलाकर एक पर्ची उपस्थित आवेदकों में से रैण्डम आधार पर किसी एक व्यक्ति से निकलवायेंगे। यह पर्ची सार्वजनिक रूप से खोलकर सभी उपस्थित व्यक्तियों को दिखायी जाएगी और पर्ची पर आवेदक के नाम की उद्घोषणा भी पर्ची निकालने वाले व्यक्ति से ही माइक पर करायी जायेगी। लाटरी निकल जाने के बाद पर्ची के पीछे दुकानों के व्यवस्थापन हेतु गठित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे व जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय की मोहर लगायी जायेगी। लाटरी के पूरा हो जाने के उपरान्त सभी पर्चियां, जिन पर दुकानें व्यवस्थापित की गयी होंगी, एक लिफाफे में बन्द करके सील कर दी जायेगी, जिसके उपर जिला चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। मैनुअल लाटरी की इस प्रकिया की वीडियोग्राफी कराई जायेगी तथा वीडियो की डिजिटल प्रति जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में अनुरक्षित की जायेगी।

28. आवेदक को दुकान आवंटित होने के उपरान्त दुकान का अनुज्ञापन निर्गत करते समय मूल हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं आधारकार्ड व पैन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति जमा करने सहित अन्य औपचारिकताऐं पूर्ण करनी होंगी। निर्धारित अवधि में औपचारिकताऐं पूर्ण न करने पर या निर्धारित अवधि के भीतर हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं मूल/स्थाई निवास प्रमाण पत्र/पैन कार्ड प्रस्तुत न करने पर दुकान के निरस्तीकरण की कार्यवाही आवंटी के जोखिम पर की जायेगी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र हैसियत, स्थाई निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, पैन कार्ड इत्यादि विवाद रहित होने चाहिए।
29. दुकान आवंटित हो जाने की दशा में चयनित आवेदक को देशी शराब के प्रकरण में सम्पूर्ण बेसिक लाइसेंस फीस तथा विदेशी मदिरा, बीयर व माडल शाप के प्रकरण में सम्पूर्ण लाइसेंस फीस को आवंटन की सूचना प्राप्त होने के तीन कार्य दिवस में जमा कराना होगा।
30. दुकान आवंटित हो जाने की दशा में चयनित आवेदक को प्रतिभूति राशि का 50 प्रतिशत 10 कार्य दिवस के भीतर एवं अवशेष 50 प्रतिशत प्रतिभूति धनराशि को 20 कार्य दिवस के अन्दर जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
31. यदि कोई आवेदक दुकान के आवटंन पश्चात् लाइसेन्स फीस तथा प्रतिभूति धनराशि समय से जमा नही करता है या अन्य औपचारिकतायें पूर्ण नहीं करता है, तो जमा धरोहर धनराशि, लाईसेन्स फीस तथा प्रतिभूति यदि कोई जमा है, को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर दुकान पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही की जायेगी।
32. दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिकी के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित), उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी शराब (बीयर को छोड़कर) की फुटकर बिकी के अनुज्ञापन का व्यवस्थापन नियमावली, 2001 (यथासंशोधित), उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर की फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन), नियमावली, 2001 व उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिये फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2003 (यथासंशोधित) में दी गयी व्यवस्था के तहत कार्यवाही की जायेगी।
33. सफल अनुज्ञापी मदिरा दुकान को किसी अन्य को पावर आफ अर्टोनी के आधार पर संचालित करने या दूसरे के पक्ष में अन्तरण नहीं करेगा।

34. किसी भी मदिरा दुकान व्यवस्थापन के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति में आबकारी अधिनियम 1910 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत सक्षम अपीलीय अधिकारी आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील की जा सकती है।

35. अनुज्ञापी अपने विक्रेताओं को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से अनुमोदित करायेगा।

36. अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञापन की शर्तो को न मानने तथा आबकारी अधिनियम के उल्लंघन पर उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा–34 या अन्य के अन्तर्गत सुसंगत कार्यवाही की जायेगी।

37. उपरोक्त उल्लिखित कारणों से यदि दुकान निरस्त की जाती है तथा पुनर्व्यवस्थापन में राजकीय राजस्व की हानि होती है तो उक्त धनराशि की वसूली पूर्ववर्ती अनुज्ञापी से की जायेगी।

38. यदि कोई शुद्धि पत्र वेबसाईट पर अपलोड किया जाता है तो आवेदक को उसे डाउनलोड कर औपचारिकताये पूर्ण करनी होगी।

39. आवंटन समिति किसी भी ऑनलाइन आफर को बिना कारण बताये स्वीकार या निरस्त कर सकता है अथवा सम्पूर्ण ऑनलाइन ऑफर की प्रक्रिया को निरस्त कर सकता है।

40. विभाग किसी तकनीकी खराबी, जो उसके अधिकार क्षेत्र में न हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

41. असफल निविदा अभिलेखों को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में सील बन्द कर सुरक्षित रखा जायेगा तथा सफल निविदा के अभिलेखों को सम्बन्धित दुकान की पत्रावली पर अनुरक्षित किया जायेगा।

42. ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी तथा मुख्यालय के अपर आबकारी आयुक्त, (लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास) उ0प्र0 (दूरभाष नं०–9454466003) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। किसी भी जानकारी हेतु उपरोक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।

भाग–2
वित्तीय निविदा हेतु प्रारूप

तालिका–1

Tender Inviting Authority: Collector

Name and Type of Shop:

Name of the Applicant :			**Father's name:**			
Sl. No.	Name & type of the Shop	minimum fixed annual MGQ (in BL) in case of country liquor shop	**Minimum fixed annual License Fee (in Rs.)** in case of other shop	Offered annual MGQ (in BL) in case of country liquor shop	Offered annual License Fee (in Rs.) in case of other shop	Offer In Words
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

1–आवेदक के हस्ताक्षर–
आवेदक का नाम–

2–सह–आवेदक के हस्ताक्षर–
सह–आवेदक का नाम–

1. वित्तीय निविदा के प्रपत्र का प्रारूप उपरोक्त तालिका–1 में दर्शाया गया है।
2. निविदादाता द्वारा **वित्तीय निविदा प्रपत्र** www.etender.up.nic.in से डॉउनलोड कर अपनी दरें निर्धारित प्रारूप में भरकर इस पर हस्ताक्षर किया जायेगा तथा **उसे स्कैन कर ई–पोर्टल पर फाइनेंसियल सेक्शन में अपलोड किया जायेगा।**
3. वित्तीय निविदा का मूल्यांकन अधिकतम ऑफर दरों (H-1) के आधार पर किया जायेगा, जो निविदा दाता तकनीकी रूप से सफल पाया जाता है तथा अधिकतम ऑफर दरें देता है वह Highest-1 (H-1) सफल निविदा दाता घोषित किया जायेगा।
4. धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन प्रति वित्तीय निविदा के प्रपत्र के साथ **फाइनेंसियल सेक्शन में** अपलोड की जाएगी।

प्रारूप—1

आवेदन पत्र का प्रारूप

दुकान का प्रकार | दुकान का नाम

दुकान का प्रकार	दुकान का नाम

आबकारी वर्ष 2018—19 (दिनांक —06—2018 से 31—03—2019 तक)

देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर व माडल शाप्स की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन हेतु आवेदन पत्र।

निम्न विवरण आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेंगेः—

आवेदक का नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

1. आवेदक का नाम..
2. पिता/पति का नाम..
3. आयु....................................
4. .जन्म तिथिः दिवस/माह/वर्ष............./............../............
5. लिंग—पुरूष/महिला..
6. स्थायी पता...

मकान नम्बर..

नगर/मौहल्ला/ग्राम..

थाना...

तहसील..

जिला...राज्य...............................

दूरभाष (लैन्ड लाइन नम्बर)...............................

मोबाईल नम्बर...

7. पैन नम्बर ....
8. आधार नम्बर..
9. हैसियत का मूल्य (रू0 में)...
10. आवेदक के पक्ष में पूर्व में जनपद में व्यवस्थित दुकानों का विवरणः

(1) ....

(2) ....

निम्न विवरण सह–आवेदक, यदि कोई हो, द्वारा भरे जायेंगे:–

सह–आवेदक का नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

11. सह–आवेदक का नाम...
12. पिता / पति का नाम..
13. आयु....................................
14. .जन्म तिथि: दिवस / माह / वर्ष............. / .... / ....
15. लिंग–पुरूष / महिला..
16. स्थायी पता..

मकान नम्बर...
नगर / मौहल्ला / ग्राम...
थाना..
तहसील...
जिला...राज्य................................
दूरभाष (लैन्ड लाइन नम्बर)...............................
मोबाईल नम्बर..

17. पैन नम्बर ....
18. आधार नम्बर...
19. हैसियत का मूल्य (रू0 में)...
20. सहआवेदक के पक्ष में पूर्व में जनपद में व्यवस्थित दुकानों का विवरण:
(1) ....
(2) ....

21. आवेदित दुकान का विवरण..–जनपद.............................

(i) दुकान का नाम ....
(ii) दुकान का प्रकार...

22. जमा धनराशि का विवरण–

22(1) प्रोसेसिंग शुल्क एवं जी0एस0टी0 की राशि के आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 द्वारा किये गये भुगतान का विवरण:–

(अ) यू0टी0आर0 नंबर व दिनांक...
(ब) बैंक का नाम व शाखा...
(स) भुगतान की राशि..

22(2) जमा धरोहर राशि के ड्राफ्ट का विवरणः–

(अ) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक...

(ब) बैंक का नाम व शाखा...

(स) बैंक ड्राफ्ट की राशि–नहीं भरनी है।

23. तकनीकी बिड में अभिलेखों को अपलोड करने हेतु चैक लिस्टः–

क०सं०	अभिलेख	अपलोड है या नहीं
(i)	आवेदन पत्र की स्कैन कॉपी	
(ii)	शपथ पत्र की स्कैन कॉपी	
(iii)	पैन कार्ड की स्कैन कॉपी	
(iv)	आधार कार्ड की स्कैन कॉपी	
(v)	हैसियत प्रमाण–पत्र की स्कैन कॉपी	
(vi)	प्रोसेसिंग शुल्क व जी0एस0टी0 के भुगतान की बैंक रसीद की स्कैन कॉपी	

नोट–उपरोक्त चेक लिस्ट के क्रम संख्या (ii), (iii), (iv) व (v) के अभिलेख आवेदक तथा सहआवेदक (यदि कोई हो) दोनों के लिए अपलोड किये जायेंगें।

आवेदक की घोषणा

मैं..पुत्र/पत्नी/पुत्री..........................घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त बिन्दु 1 से 9 में दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त करने व धरोहर धनराशि जब्त करने में मुझे कोई आपत्ति नही होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिज्ञ हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि दुकान आवंटन के बाद नियत समय के भीतर निर्धारित हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, मूल/स्थाई निवास प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड व आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा

कर दूँगा/दूँगी। यदि वांछित प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही होगी।

स्थान......................................

दिनांक......................................

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक का नाम बडे अक्षरों में:

सहआवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

सहआवेदक का नाम बडे अक्षरों में

नोट–अहस्ताक्षरित अथवा अंगूठे का निशान न होने पर आवेदन मान्य नहीं होगा।

प्रारूप–2

वित्तीय वर्ष 2018–19 की अवशेष अवधि के लिए देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर व माडल शाप्स के फुटकर बिकी के अनुज्ञापन हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप

आवेदक का नोटरी से प्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा करना होगा

(1) यह कि आवेदक भारत का नागरिक है एवं अपनी आयु 21 वर्ष पूर्ण कर चुका है तथा आवेदन हेतु पूर्ण पात्रता रखता है।

(2) यह कि समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के प्राविधानों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।

(3) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण मे किसी विधि अथवा नियमों का उल्लघन नहीं किया गया है।

(4) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोष सिद्व न किया गया हो।

(5) यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहॉ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।

(6) यह कि व किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड–तीन में उल्लिखित है या जो किसी संकामक रोग से ग्रसित हो या **इक्कीस** वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। **लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से अपने प्राधिकृत बिकेता/ प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।**

(7) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।

(8) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।

(9) यह है कि वह सकिय रुप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सकिय रुप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुबंध/पट्टा/ठेका/ **अनुज्ञापन** निरस्त कर दिया जाये।

(10) यह है कि आवेदक बार काउसिंल में पंजीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में पंजीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाय। **राज्य सरकार का कर्मचारी, अनुज्ञापन स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अनर्ह होगा।**

(11) यह कि वह राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित विधि द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क, जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि आवेदक जमा करेगा। अनुज्ञापी के रूप में चयन हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि को बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी।

(12) यह कि वह ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र का धारक है तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता की मालियत जिला में एक दुकान का अनुज्ञापन प्रदान करने के लिये अवधारित बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस के योग के 1/6 भाग के समतुल्य धनराशि से कम नहीं है/ विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं है, परन्तु सह आवेदक होने की दशा में जिला में अनुज्ञापन स्वीकृति के लिये अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता के लिये निर्धारित मानदण्ड को दोनों व्यक्तिगत रूप से पूरा करेंगे।

(13) यह कि यदि कोई कमी होती है, तो आवेदक उसे पूरा करने के लिये बाध्य होगा तथा कोई व्यवधान होने पर विधिक कार्यवाही का पात्र होगा।

यह कि उपरोक्त प्रस्तर--1 से 13 तक विषयवस्तु एवं ऑनलाइन निविदा प्रपत्रों में दी गयी विषयवस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और किसी तथ्य को छिपाया या दबाया नहीं गया है।

स्थान......................

दिनांक ....समय................................

शपथकर्ता

पब्लिक नोटरी का नाम और मोहर

स्थान.......................... दिनांक..............